संख्या- 95 /2625/24-1-14-17पीसी/2001टीसी-1

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर ,2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के कार्यरत/ सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन एवं उपादान संबंधी प्रसुविधा दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, (वित्त) एवं ट्रस्टी उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के पत्र संख्या-4577/ट्रस्ट/ए0ओ0/पेंशन-GOVT/60, दिनांक 21.11.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 320,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) को स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह दिसम्बर, 2014 से माह मार्च, 2015 तक प्रतिमाह रूपये 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की चार समान किस्तों में आहरित किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट या उनके द्वारा प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने का दायित्व निदेशक, वित्त एवं ट्रस्टी का होगा तथा वह नियत समय पर उपलब्ध करायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-आयोजनेत्तर-200-अन्य पेंशन- 03-राज्य विदयुत परिषद के विघटन पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक सुविधायें- 33-पेंशन/अनुतोषित/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0- 211/दस-2014, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 95/2625(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in